उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-20/2015/869/सत्तर-2-2015-3(8)/1996टीसी

लखनऊ: दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

महामति प्राणनाथ महाविद्यालय, मऊ बांदा की प्रबन्ध समिति को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत पत्र संख्या-260/15-11-97-3(8)/96, दिनांक 29-4-97 द्वारा नोटिस दी गयी थी और नोटिस में उल्लिखित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताएं गम्भीर प्रकृति की होने और उसमें महाविद्यालय का अहित होने के कारण अधिनियम की धारा-58 की उप धारा-(2) के अधीन पत्र संख्या-260/15-11-97-3(8)/98, दिनांक 29-4-1997 द्वारा प्रबन्धतंत्र को निलम्बित करते हुए निलम्बनावधि के लिए महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्धन जिलाधिकारी, बांदा को प्रदत्त किया गया था। बाद में मऊ तहसील के नवगठित जनपद छत्रपति साहूजी महाराज नगर में आ जाने के फलस्वरूप शासन के आदेश संख्या-1375/15-उ0शि0-2-97-3(8)/96, दिनांक 19-07-1997 द्वारा इस महाविद्यालय का साधिकार नियंत्रण जिलाधिकारी, बांदा के स्थान पर जिलाधिकारी, छत्रपति साहूजी महाराज नगर को बनाया गया। नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल समाप्त होने पर शासनादेश संख्या-1802/सत्तर-2-2013-3(8)/96 टीसी दिनांक 28-11-2013 द्वारा दिनांक 29-10-2013 से दिनांक 28-10-2014 तक बढ़ाया गया था तथा अन्तिम बार शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-635/सत्तर-2-2014-3(8)/96 टीसी, दिनांक 21-11-2014 द्वारा दिनांक 29-10-2014 से 28-10-2015 तक के लिए प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल बढ़ाया गया था।

2- महाविद्यालय में व्याप्त अनियमिताओं के बारे में निदेशक, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 26-10-2015 द्वारा क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी की रिपोर्ट दिनांक 03-10-2015 के आधार पर अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय में पूर्व से चली आ रही प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमिततायें यथावत हैं। अत: महाविद्यालय में अनियमितताओं की स्थिति यथावत बने रहने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल, उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 की उपधारा-1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत नियंत्रक (जिलाधिकारी-चित्रकूट) का कार्यकाल दिनांक 29-10-2015 से आगामी एक वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2015/869(1)/सत्तर-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

2- जिलाधिकारी, चित्रकूट ।

3- कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी ।

4- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी ।

5- जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा/चित्रकूट ।

6- संबंधित अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सचिव/ प्रबन्धक/ प्रबन्ध समिति, महामति प्राणनाथ महाविद्यालय, मऊ, चित्रकूट ।

7- प्राचार्य, महामति प्राणनाथ महाविद्यालय, मऊ, चित्रकूट ।

8- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डा0 ध्रुव पाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in